

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आइएल0आर0
 आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

उक्त हाइपु 2075-78 (बारा मेला पत्र क्रमांक 18 व
 चारी पु-शोपल (किरी फर्त व गळके झुका का. गि। चारी) का पु-शोपल के
 पहचान दस्तावेजात ई का. का. दु. हल किफा का. उचित है।
 कायालुस तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
 दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी तहसीलदार, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अगिशांथा की जाती है / नहीं की जाती है।

उक्त निमाजगत उचित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क्लर्क उदयपुरवाटी जिला मुंसुनू (राज.)
 :- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट को आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हाइपु	2075-78	47	चारी पु-शोपल	गि। चारी/का. पु-शोपल

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 14/12/20

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 2239

- लिपि :-
1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वारसी पालनाथ।
 2. प्रार्थी/प्रार्थीया



कमि-सूचनाथ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी